>

Title: Need to enact laws to prevent crimes related to illegal organ transplantation in the country.

श्री राजाराम पाल (अकबरपुर): सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से एक अत्यंत लोकमहत्व और अविलंबनीय समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज पूरे देश में मानव अंगों की तस्करी हो रही है। पूरे देश में नौजवान छात्र-छात्राओं के बारे में आएदिन पूरे देश के किसी न किसी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखायी जाती है और नौजवान छात्र-छात्राएं किसी न किसी गिरोह के चुंगल में पड़कर निठारी जैसे कांड का शिकार होते हैं। किसी गुप्त नर्सिंग होम में उनके अंगों को निकालकर उनकी हत्या कर दी जाती है। जब राज खुलता है तो पता चलता है कि कितने बड़े पैमाने पर इन नौजवानों के, छात्र-छात्राओं के मानव अंगों को शरमायेदार लोग बड़ी कीमतें देकर किडनी और आंखें ट्रंसप्लांट करवाने का काम करते हैं।

महोदया, आपके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आज पूरे देश में आज हजारों की तादाद में एक्सीडेंट्स होते हैं। उन एक्सीडेंट्स में निश्चित तौर पर पोस्टमार्टम भी होता है। अगर इन एक्सीडेंट में होने वाली मौतों के शव को, कोई एक मानव अंग उपयोग नियामक प्राधिकरण बनाकर पूरे देश के जनपद स्तर पर इसकी व्यवस्था की जाए कि एक्सीडेंट की जो बाडियां हैं, वह राÂट्रीय संपत्ति घोषित हों।

जो अंग मानवोपयोगी हैं, उनसे हजारों लोगों को नेत्र मिल सकते हैं जो उन्हें रोशनी दे सकते हैं। उनकी किडनी से दूसरे लोगों की लाइफ बच सकती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि तत्काल मानव अंगों की तस्करी रोकने और एक्सीडैंट से होने वाली मौतों को उपयोगी बनाने के लिए, जबकि आज देह दान, आंख दान और तमाम तरह के दान चल रहे हैं, ऐसे में यदि इसे राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित करके कानून बना दिया जाए, तो देश में हजारों लोग इससे लाभान्वित होंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।